फर्द अहकाम

सरजूदेवी बनाम गिर्राज

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी दावा 97 / 2024

व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

[illegible]ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13.06.2024	यह दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 27.06.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	नोटिस जारी DN 2554-68 20/06/24
	27/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित बाबूलाल पुत्र रामकिशन, अरविंद पुत्र सुवालाल, दीनदयाल पुत्र सुवालाल की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने प्रा.पत्र 01 नियम 10(2) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते प्रा.पत्र 01 R 10(2) CPC के जवाब एवं शेष प्रतिवादीगण की इंतजार तलबी हेतु दिनांक 01/8/24 को पेश हो। [signature]	
	1/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी स्वयं भी अनुपस्थित। न्यायालय समय में बार-बार आवाजें लगवाई गई परन्तु ना तो वादी स्वयं उपस्थित हुए, ना ही वादी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः वादी का वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नक्ल से [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	